



प्रेस नोट  
थाना बिनौली

दिनांक- 17.07.2025

थाना बिनौली पुलिस ने गुम हुए 04 मोबाइल फोन को CEIR PORTAL के माध्यम से खोज कर मोबाइलो के स्वामियों को किया सुपुर्द ।

### कार्यवाही-

थाना बिनौली पर आवेदकों द्वारा मोबाइल गुम होने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्रों के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना बिनौली पुलिस द्वारा 04 मोबाइल फोन को CIER PORTAL के माध्यम से खोज कर उनके स्वामियों



को सुपुर्द किया गया । मोबाइल स्वामियों द्वारा थाना बिनौली पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

### मोबाइल मालिक का विवरण-

- 1-श्री कर्मवीर सिंह पुत्र श्री धारा सिंह निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2-श्री बबलू पुत्र श्री जयवीर निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत
- 3-श्री धीरज पुत्र श्री वेदप्रकाश निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत
- 4-श्री सुरेश पुत्र श्री लालाराम निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत



प्रेस नोट  
थाना बड़ौत

दिनांक 17.07.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 439/25 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 439/25 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

सूरज पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम कोताना थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 414 मान सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 17.07.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 357/25 धारा 109/3(5)/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर उसकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .32 बोर बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.06.2025 को थाना बडौत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि बाईक सवार 03 अज्ञात लड़कों तथा काली स्कॉर्पियों में सवार कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा वादिया के घर के बाहर आकर गाली-गलौच की गई, जिसका वादिया द्वारा विरोध करने पर वादिया के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किये गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 357/25 धारा 352/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 357/25 धारा 109/3(5)/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशामदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .32 बोर बरामद किया गया है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

लव तोमर पुत्र अनिल तोमर निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी बी 162 ओमोकरोन द्वितीय ग्रेटर नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर ।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 357/25 धारा 109/3(5)/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत।
2. मु0अ0सं0 05/20 धारा 307/504/506 भादवि थाना बडौत ।
3. मु0अ0सं0 40/18 धारा 370 भादवि थाना बडौत ।
4. मु0अ0सं0 41/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत ।
5. मु0अ0सं0 150/21 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत ।
6. मु0अ0सं0 255/20 धारा 386/506 भादवि थाना बडौत ।
7. मु0अ0सं0 379/18 धारा 307/323/324/326 भादवि थाना बडौत ।
8. मु0अ0सं0 392/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बडौत ।

### बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .32 बोर

### बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री दिनेशकुमार पाल थाना बडौत ।
- 2- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत ।
- 3- उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बडौत ।

4-का0 970 रोहित अत्री थाना बडौत ।

5-का0 548 प्रिन्स कुमार थाना बडौत।

